कच्छ ज्वार-भाटीय विद्युत परियोजना की स्थापना

411. श्री इसराम सिंह याध्व : डा जिनेव्ह कुमार जैन :

क्या अर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

- (क) क्या यह सच है कि ज्वार-भाटीय लहरों से विद्युत उत्पादन के लिये अपेक्षित प्रौद्योगिकी देश में प्राप्त कर ली गई है; और
- (ख) सरकार द्वारा कच्छ ज्वार भाटीय विद्युत परियोजना स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है?

अर्जी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बादनराव ढाकणे): (क) गुजरात में प्रस्ता- वित कच्छ ज्वारीय विद्युत परियोजना की तकनीकी-स्राधिक व्यवहायेता का मूल्यां- कम करने के लिए जांच एवं अध्ययन कार्य करते समय केन्द्रीय विद्युत प्राधि- करण द्वारा फांस से तकनीकी सहायता प्राप्त की गई थी। तथापि ज्वारीय विद्युत के विकास में निहित जटिल प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए परियोजना का विस्तृत अभिकल्प तैथार करते समय एवं उसके कियान्वयन के दौरान इस क्षेत में अनुभव रखने वाले अन्य देशों से और तकनीकी सहायता प्राप्त किए जाने की जरूरत पढ़ सकती है।

(ख) कच्छ ज्वारीय विद्युत परियोजना की स्थापना के संबंध में निर्णय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना के तकनीकी-ग्राधिक मृत्यांकन एवं उसकी स्वीकृति के बाद ही किया जा सकता है।

<mark>थिद्युत सं</mark>चारण और क्षितरण प्रणाली

412. श्री बलराम सिंह बाह्य : डा० जिने इ कुमार जैन :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विद्युत संचारण भौर बितरण में ग्रामतौर पर होने वाले विद्युतीय हानि की तुलना में देश में इसका परिमाण काफी प्रधिक है ;

- (ख) यदि हां, तो वर्ष 1990 के दौरान इस कारण देश में कितनी प्रति-शत विद्युत बेकार हो जाने की संभावना है ;
- (ग) क्या यह भी सच है कि इस मारी हानि को दृष्टि में रखते हुए "एनर्जी" के प्रक्तूबर, 1990 के ग्रंक में कुछ कारणों का उल्लेख किया गया है ;
- (घ) यदि हां, तो वे कौन से मुख्य कारण हैं श्रीर क्या सरकार ने उन्हें दूर करने के लिये कुछ ठोस उपाय ग्रपनाने का निर्णय किया है ; श्रीर
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंद्रालय में राज्य मंद्री (श्री बांन रायदाकणे) : (क) और (ख) भारत में पारेपण एवं वितरण हानियां (टी. एण्ड डी.) 22 प्रतिशत के लगभग है जो कि विश्व के ग्रन्य विकसित देशों जहां ये हानियां 6 से 11 प्रतिशत के बीच होती हैं, की तुलना में काफी श्रधिक है! वर्ष 1989-90 के दौरान परेषण एवं वितरण हानियों का विवरण ग्रनुबंध में दियां गया है (नीचे बेखिए)

(ग) से (इ) इन हानियों में कमी लाने के लिए विद्युत यूटिलिटीज को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रणाली में अधिक हानियों के लिए उत्तरदायो घटकों का पता लगाने हेतु ऊर्जा लेखा परीक्षा संबंधी कार्य करना, वोल्टता संबंधी परि-दृश्य को सुधारने के लिए कैपेसिटर्स की प्रतिष्ठापना करना, अपनी पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाने तथा इनमें सुधार करने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार करना, ऊर्जा की चोरी को रोकने के लिए टेम्पर प्रूफ मीटर बाक्सों की प्रतिष्ठापना करना तथा उर्जा की नीरी से संबंधित मामलों का पता

लगाने के लिए सतर्कता दलों का गठन करना, शामिल है । भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 39 के प्रावधानों के ग्रंतर्गत ऊर्जा की चोरी को एक संज्ञेंय ग्रपराध घोषित किया गया है । पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1987 से एक प्रोत्साहन स्कीम भी लागू की गई है।

मार्गदर्शी सिद्धांतों के ग्राधार पर विद्युत युटिलिटीज ने सतर्कता दलों का

गठन किया है तथा भ्रपनी पारेषण भौर वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाने एवं इनमें सुधार करने के लिए प्रणाली स्धार स्कीमें वना रहे हैं। पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए विभिन्न राज्य विजली बोर्डो/विजली विभागों द्वारा कियान्वयन हेतु प्रणाली सुधार स्कीमें हाथ में ली गई हैं तथा पारेषण एवं वितरण हानियों की मान्ना को कम करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को प्रेरित करने हेतु एक प्रोत्साहन स्कीम भी लागु की गई है।

विवरण राज्य विद्युत बोर्डो/विद्युत धिभागों में 1989-90 के दौरान पारेषण एवं वितरण हानियों (वाणिज्यिक हानि सहित) का प्रतिशत दशनि वाला विवरण

क्षेत्र	राज्य विद्युत बोर्ड/बिजली विभाग	1989–90 (ग्रनन्तिम)
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र	1. हरियाणा	29.19
	2. हिमाचल प्रदेश	18.74
	 जम्मूव कश्मीर 	49.46
•	4. पंजाब	18.96
	5. राजस्थान	21.97
	 उत्तर प्रदेश 	26.10
	7. चंडीगढ़	15.62
	8. डेसू	28.10
पश्चिमी क्षेत्र	1. गुजरात	22.02
	2. मध्य प्रदेश	19.48
	3. महारा ^६ ट्र	17.60
	4 दादरा और नागर हवेली	11,4
	5. गोग्रा	18.68
	 दमन ग्रौर दीव 	16.3
दक्षिणी क्षेत्र	1. ग्रान्ध्र प्रदेश	20. 20
	2. कर्नाटक	20.49
	3. केरल	22.0

Written Answers

452

1	2	3
	4. तमिलनाडु	18, 45
	5. लक्षदीप	13.30
	 पांडिचेरी 	18.45
पूर्वीक्षेत्र ं	1. विहार	21.50
	2. उ ड़ीसा	23, 99
	3. सिक्किम	23, 36
	4. पश्चिमी वंगाल	21.58
	 ग्रंडमान ग्रौर निकोबार द्वीपसम्ह 	16.15
	<u>· </u>	
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1. प्रसम	21.58
	2. मणिपुर	20.80
	3. मघालय	10.90
	4. नाग ाल ैंड	18.00
	तिपुरा	30.00
	6. श्ररुणाचल प्रदे श	27.60
	7. भिजोरम	29.00
ग्रखिल भारत (यूटिलिटीज)		—————————————————————————————————————

समुद्रोध अर्जा का उपयोग

413. श्री राम जेठमलानी: क्या कर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का ध्यान 24 मई, 1990 के "दि हिन्दू" में "श्रोशन एनर्जी एक्सप्लायटेशन ग्रान एन्विल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ग्रोर दिलाया गया है ;
- (ख) क्या यह भी सच है कि विभिन्न ग्रध्ययन दलों द्वारः प्रस्तुत प्रतिवेदनों में समुद्रीय ऊर्जा पर ग्राधारित परि-योजनायें स्थापित करने का समर्थन किया गया है ;
- (ग) यदि हां, तो क्या देश में समुद्रीय ताप ऊर्जा परिवर्तन संयंत्र स्थापित करने

के संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और देश में इस तकनीक से ऊर्जा उत्पादन कब तक जुरू होने की संभावना है?

कर्जा संज्ञालय में राज्य संज्ञा (श्री बावनराव ढाकणे) : (क) जी हां।

- (ख) महासागर ऊष्मा ऊर्जा रूपां-तरण प्रौद्योगिकी अपनी वर्तमान स्थिति में तकनीकी ग्राधिक रूप से व्यवहार्य नहीं समझी जाती है हालांकि एक विशेषज्ञ दल की राय है कि यह भविष्य में व्यवहार्य हो सकेगी।
- (ग) और (घ) देश में श्रतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के सृजन के लिये श्रनुभव किये जा रहे गंभीर वित्तीय दवाबों के कारण ब्राठवीं योजना के दौरान किसी महासागर ऊष्मा ऊर्जी